

दिनांक:—27.09.2019

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. जरिये अधिवक्ता पेश होने पर पत्रावली दिनांक 21.10.2019 के बजाय आज पेशी में ली गयी। वकील वादी उप.वादी स्वयं उपस्थित वकील वादी वाद पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें कुछ तकनीकी कमीयां रह गयी थी। इसलिये वाद उक्त को आगे नहीं चलाना चाहता है। 023 आर 2सी.पी.सी. के तहत वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुये उक्त वाद जरिये Withdrawl खारिज किया जावे। प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया,पत्रावली तलवी स्तर पर। अतः वादी जरिये Withdrawl नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।